रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-17072023-247363
CG-DL-E-17072023-247363

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3027] नई दिल्ली, सोमवार, जुलाई 17, 2023/आषाढ़ 26, 1945
No. 3027] NEW DELHI, MONDAY, JULY 17, 2023/ASHADHA 26, 1945

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जुलाई, 2023

का.आ. 3156(अ).—(1) (i) केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) की नाजुक सूचना अवसंरचना होने के कारण हवाई यातायात प्रबंधन के लिए निम्नलिखित संचार, दिक्चालन तथा निगरानी प्रणाली से संबंधित कंप्यूटर संसाधनों एवं इसके सहयुक्त आश्रितताओं के कंप्यूटर संसाधनों को उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए एततद्वारा संरक्षित प्रणाली घोषित करती है, अर्थात्:—

(क) इंडियन मास्टर कंट्रोल सेंटर, इंडियन लैंड अपलिंक स्टेशन, जीपीएस-एडेड जीईओ संवर्धित दिक्चालन के भारतीय संदर्भ स्टेशन;

(ख) अति उच्च फ्रीक्वेंसी वॉयस कम्युनिकेशन कंट्रोल सिस्टम, ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम, हवाई यातायात प्रबंधन ऑटोमेशन के लिए संचार, दिक्चालन एवं निगरानी प्रणाली, रेडिओ डिटेक्शन तथा रेंजिंग, एडवांस्ड सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एवं नियंत्रण प्रणाली तथा ऑटोमैटिक डिपेंडेंट सर्विलांस - दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और गुवाहाटी उड़ान सूचना क्षेत्र (एफआईआर) का प्रसारण;

(ग) दिल्ली और मुंबई एफआईआर की एयर ट्रैफिक सर्विसेज मैसेजिंग हैंडलिंग सिस्टम;

(घ) वैमानिकी सूचना सेवाएं - दिल्ली एफआईआर की वैमानिकी सूचना प्रबंधन प्रणाली।

(ii) केंद्रीय सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 70 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित कार्मिकों को संरक्षित प्रणालियों तक पहुंच बनाने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात् :—

(क) संरक्षित प्रणाली तक पहुंच बनाने के लिए, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का कोई अभिहित कर्मचारी;

(ख) संविदात्मक प्रबंधित सेवा-प्रदाता या तृतीय पक्षकार विक्रेता के दल का कोई सदस्य जिसे आवश्यकता के आधार पर पहुंच बनाने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत किया गया है; और

(ग) मामला दर मामला के आधार पर, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत कोई परामर्शी, विनियामक, सरकारी पदाधिकारी, संपरीक्षक और पणधारी।

(2) यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगी ।

[फा. सं. 2(5)/2022-सीएल]

संदीप चटर्जी, वैज्ञानिक जी

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th July, 2023

S.O. 3156(E).—(1) (i) In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government hereby declares the computer resources relating to the following Communications, Navigation and Surveillance systems for Air Traffic Management, being Critical Information Infrastructure of the Airports Authority of India (AAI), and the computer resources of its associated dependencies, to be protected systems for the purpose of the said Act, namely:—

(a) Indian Master Control Centre, Indian Land Uplink Station, Indian Reference Stations of GPS Aided GEO Augmented Navigation;

(b) Very High Frequency Voice Communication Control System, Automatic Message Switching System, Communications, Navigation and Surveillance systems for Air Traffic Management Automation, Radio Detection And Ranging, Advanced Surface Movement Guidance and Control System and Automatic Dependent Surveillance - Broadcast of Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai and Guwahati Flight Information Regions (FIRs);

(c) Air Traffic Services Messaging Handling System of Delhi and Mumbai FIRs;

(d) Aeronautical Information Services - Aeronautical Information Management System of Delhi FIR;

(ii) In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 70 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), the Central Government authorises the following personnel to access the protected systems, namely:—

(a) any designated employee of the Airports Authority of India authorised in writing by the Airports Authority of India to access the protected system;

(b) any team member of contractual managed service provider or third-party vendor who have been authorised in writing by the Airports Authority of India for need-based access; and

(c) any consultant, regulator, Government official, auditor and stakeholder authorised in writing by the Airports Authority of India on case to case basis.

(2) This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. 2(5)/2022-CL]

SANDIP CHATTERJEE, Scientist G

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA